का॰ज्ञा॰ सं॰1/14034/8/88-रा॰भा॰ (क-1) दिनांक 31-5-88

विषय:— कोड/मैनुअल आदि को द्विभाषिक रूप में जारी करना।

राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन बनाए गए राजभाषा नियम 1976 के नियम 11(1) में यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप से जारी किया जाये।

2. प्राय: यह देखा गया है कि केन्द्रीय सरकार के मैनुअल, संहिताएं आदि केवल अंग्रेजी में छपवाई जा रही हैं। यह सांविधिक अपेक्षा के विरुद्ध है। राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 12012/5/76-रा॰भा॰ (ख) (हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन, तृतीय संस्करण आदेश संख्या 44) दिनांक 31-8-76 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने नियंत्रणाधीन प्रेसों को तथा अन्य कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे इस बारे में सरकार की नीति का पूरी तरह से पालन करें और वे कोई भी सामग्री केवल अंग्रेजी में छापने के लिए स्वीकार न करें।

3. शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि वे अपने प्रकाशन निदेशालय को यह अनुदेश दें कि कोड/मैनुअल आदि प्रिंटिंग के लिए वे तभी स्वीकार करें जब वे द्विभाषी रूप में में भेजे जाएं जैसा कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 11(1) में व्यवस्था की गई है।

4. इस संबंध में जो आदेश जारी किये जायें उसकी प्रति राजभाषा विभाग को जानकारी के लिए भिजवा दी जाये।